

प्रेमक,

श्री अशोक नांगुजी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र 2 समूहय केंद्र
प्रौद्योगिक विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुमान

संज्ञक: दिनांक: 30 अगस्त, 1996

विषय:-

श्री एकाडेमी न्यू गढ़ी कैट देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आपरिचित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बहने का निर्देश हुआ है कि श्री एकाडेमी न्यू गढ़ी कैट देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरिचित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतायदी का समस्त समस्त पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था वैधिक एवं शिक्षासुत्तर कर्मचारियों को राखकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

*Attestd
signed
17/8*
जिला विद्यालय निरीक्षक
देहरादून

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

1। विद्यालय में क्या समय हीपी0स्क0 योजना लागू करके शासन को अज्ञात कराया जायेगा ।

2। विज्ञान प्रयोगशाला में व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय में अडार कक्ष न रहे जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महोदय,

। अजीत गांगुली ।
संयुक्त सचिव ।

पू0सं0 3094111/15-7-1996 तददिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महोदय संयुक्तशिक्षा निदेशक, देहरादून ।
- 3- जिला विद्यालय, निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- प्रिन्सिपल, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, श्रेष्ठ स्काडमी न्यू गढ़ी कैम्प देहरादून ।

आज्ञा से,

[Handwritten Signature]

। अजीत गांगुली ।
संयुक्त सचिव ।

Attested

17/4

जिला विद्यालय निरीक्षक
देहरादून